उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-2)
संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016
लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2019

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में तापीय विद्युत संयंत्रों, कोयले की खदानों, स्टोन क्रेशर्स एवं अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों के संचालन से व्याप्त प्रदूषण के नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के आंकलन एवं समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा निम्न ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है-

i.	मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार	-अध्यक्ष
ii.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	-सदस्य
iii.	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	-सदस्य
iv.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	-सदस्य
v.	जिलाधिकारी, सोनभद्र	-सदस्य
vi.	जिलाधिकारी, सिंगरौली	-सदस्य

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.08.2018 में निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु समबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-681/2018 News Item Published in "The Times of India' Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August 15" में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 द्वारा Air Quality Monitoring Committee (AQMC) गठित की गई है। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 Non-attainment Cities की वायुगुणता मानको के अनुरूप सुनिश्चित किये

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाने के दृष्टिकोण से AQMC द्वारा कार्ययोजना का निर्माण किया जाए। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया कि AQMC का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यावरण के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में होगा तथा उक्त के साथ-साथ AQMC के कार्यों का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा भी किया जाएगा।

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/55-पर्या- 2-2019-09(रिट)/2016 दिंनाक 02.01.2019 द्वारा प्रदेश में Air Quality Monitoring Committee निम्नवत् गठित की गई-

i.	आयुक्त, परिवहन विभाग, उ0प्र0	-सदस्य
ii.	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	-सदस्य
iii.	निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0	-सदस्य
iv.	निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0	-सदस्य
v.	निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0	-सदस्य
vi.	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	-सदस्य, समन्वयक

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं क्रिटिकली/सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों में व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों में विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं नियमावलियों के अनुपालन का अनुश्रवण मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा करते हुए त्रैमासिक अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में चिन्हित Non-attainment Cities एवं क्रिटिकली/ सीरियसली प्रदूषित क्षेत्रों के सम्बन्ध में ओ0ए0 सं0-681/2018 एवं ओ0ए0 सं0-1038/2018 में पारित पूर्व निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी वायु प्रदूषण एवं स्वच्छ परिवेशीय वायुगुणता सुनिश्चित कराये जाने हेतु की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जा रही कार्यवाही एवं कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

4- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 मे मा0 अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेत्तर कार्य किये जाने के संबंध में दिनांक 26.04.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं-

" 26. Vide order dated 05.03.2019, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by 30.04.2019 and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules 5 and 14 of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated 22.12.2016 [Para 43(9)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में वर्णित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 26.04.2019 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा गठित ओवरसाइट समिति एवं क्रिटिकली प्रदूषित औद्योगिक समूहों हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2973/55-पर्या-2014-47(पर्या)/2010, दिनांक 30.07.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को समाप्त करते हुए प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण एवं वायुगुणता मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु मा0 अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-01/55-पर्या-2-2019-09(रिट)/2016 दिंनाक 02.01.2019 द्वारा प्रदेश में गठित Air Quality Monitoring Committee निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है-

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	-अध्यक्ष
ii.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग	-सदस्य
iii.	प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	-सदस्य

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग -सदस्य

v. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग -सदस्य

vi. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग -सदस्य

vi. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन -सदस्य

viii. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान विभाग -सदस्य

ix. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति -सदस्य

x. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 -सदस्य

xi. निदेशक, पर्यावरण -सदस्य

xii. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ -सदस्य

xiii. ऑयल कम्पनीज (आई0ओ0सी0/बी0पी0सी0एल0/ एच0पी0सी0एल0) के प्रतिनिधि -सदस्य

xiv. सी0एन0जी0 कम्पनीज (इन्द्रप्रस्थ गैस, गेल इण्डिया) के प्रतिनिधि -सदस्य

xv. डा0 सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आई0आई0टी0, कानपुर -विशेषज्ञ सदस्य

xvi. समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि -सदस्य

xvii. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य समन्वयक

6- उपरोक्त बिन्दु सं0-5 के अन्तर्गत Air Quality Monitoring Committee के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगें-

i. मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-681/2018 News Item Published in "The Times of India' Authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with Multiple timelines to Clear Air in 102 Cities to be released around August 15" में पारित आदेश तथा ओ0ए0 सं0-1038/2018 News Item Published in "The Asian Age" Authored by Sanjay Kaw Titled "CPCB to rank industrial units on pollution levels" में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।

ii. प्रदेश में शहरी नियोजन के अन्तर्गत पर्यावरणीय विषयों का समावेश किये जाने की स्थिति।

iii. प्रदेश के शहरों हेतु Comprehensive Mobility Plan के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. प्रमुख शहरों में विद्युत चलित बसों एवं बैटरी संचालित वाहनों की वर्तमान स्थिति एवं विस्तार किये जाने की योजना का अनुश्रवण।

v. प्रमुख शहरों में स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 के वर्तमान नेटवर्क का विस्तारीकरण एवं नये शहरो में आपूर्ति किये जाने की समीक्षा।

vi. शहरों में पार्किंग की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु पार्किंग नीति का अनुश्रवण।

vii. शहरों में हरित पट्टिका के विकास किये जाने की समीक्षा।

viii. मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (मेट्रो) के विस्तारीकरण की नीति की समीक्षा।

ix. वाहनों के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक्स्प्रेस-वे, पेरिफेरल रोड, ओवरब्रिजेस की वर्तमान योजनाओं की प्रगति एवं प्रस्तावित विस्तारीकरण कार्ययोजना का अनुश्रवण।

x. शहरों में Source Apportionment Study कराये जाने के सम्बन्ध में प्रगति का अनुश्रवण।

xi. प्रदेश में शहरों की वायुगुणता के मापन हेतु CAAQMS नेटवर्क के विस्तारीकरण हेतु प्रगति का अनुश्रवण एवं बजट प्राविधान सम्बन्धी निर्णय।

xii. औद्योगिक वायु प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति का अनुश्रवण।

xiii. गैर अनुमन्य क्षेत्र में स्थापित/संचालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुमन्य क्षेत्र में कराये जाने हेतु योजनाओं की स्थिति का अनुश्रवण।

xiv. वाहन प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी0यू0सी0 प्रणाली एवं उक्त को अपग्रेड तथा विस्तारीकृत किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।

xv. मिलावटी ईंधन की आपूर्ति रोके जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन।

xvi. सड़कों की सफाई रात्रि में एवं मैकेनाइज्ड पद्यति पर किया जाना।

xvii. ठोस अपशिष्ट, कूड़ा-कचरा जलाये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण।

xviii. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट के अनुपालन की स्थिति।

xix. Air Quality Monitoring Committee सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी वायु प्रदूषण एवं स्वच्छ परिवेशीय वायुगुणता सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रदूषण की स्थिति के आंकलन एवं संचालित परियोजनाओं की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रगति की समीक्षा हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर स्थलीय भ्रमण कराकर स्थिति का आंकलन करायेगी।

xx. Air Quality Monitoring Committee द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-16/2019/एन.जी.टी.-260/55-पर्या-2-2019-44(रिट)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित:-

1. रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार), ओ0ए0 सं0-164/2018 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में गठित ओवरसाईट समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/कृषि/परिवहन/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/उद्यान/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
12. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
14. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
15. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
16. ऑयल कम्पनीज (आई0ओ0सी0/बी0पी0सी0एल0/एच0पी0सी0एल0) के प्रतिनिधि।
17. सी0एन0जी0 कम्पनीज (इन्द्रप्रस्थ गैस, गेल इण्डिया) के प्रतिनिधि।
18. डा0 सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आई0आई0टी0, कानपुर।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।